अपील सूचना अधिकार संख्या 55/2017 अनवानी श्री योगेश टेकवाणी निवासी बी–12 तृतीय मंजिल डा. लोहिया रोड़ आदर्श नगर दिल्ली–110033 बनाम लोक सूचना अधिकारी जिला कलक्टर कार्यालय, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

30–08–2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री योगेश टेकवाणी उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री योगेश टेकवाणी ने अपने सूचना के अधिकार अधिनियम के आवेदन पत्र दिनांक 18.09.2015 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, जिला कलक्टर कार्यालय श्रीगंगानगर से निम्न सूचनांए चाही थीः–

1. Date of implementation of Nation food security Act Rajasthan and Sriganganagar District.
2. Provide ceritified copies of the month's allotment wheat distribution roaster, Kerosene distribution roaster and Sugar distribution roaster of Sriganganagr urban area of FPS shopkeepers prepared by DSO Office Sriganganagar with effect of date of Implementation of National Food Security Act till 17-04-2017 in Sriganganagar district.
3. Provide, vertified copies of monthly returns of Wheat, Kerosene and suger submittes to the DSO office by the all FPS shopkeepers of Sriganganagar urban area from the date of Implementtation of National Food security Act till 17-04-2017.
4. Certifiied copies of Bills issued by the KVSS shop no. 100 responsible for the wholesale supply of the wheat and suger to the FPS shopkeepers of Sriganganagar Urban area from the date of Implementation of National Food security Food Act till 17-04-2017.
5- Details of allotment, name of PDS shopkeepers and distributors whom the extra kerosene oil, sugar and kerosene was allotted for distribution in addition to the kerosene oil, suger and wheat allotted every month allotted on regular basis from the date of Implementtation of National food security Act till 17-04-2017. Name of officer doing the alloted with designnation and present posting.
6. Name and designation of your appeal authority.

अपीलार्थी ने यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की है उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाये जाने का आदेश दिया जावे।

अपीलार्थी के अपील पत्र के संबंध में जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपना प्रतिवेदन संख्या 3579 दिनांक 21.06.17 प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनांओ के संबंध में उनके कार्यालय के पत्र सं0 3049 दिनांक 17.05.17 के द्वारा अपीलार्थी को सूचित कर दिया गया था।

जिला रसद अधिकारी ने अपने पत्र सं0 3049 दिनांक 17.05.17 के द्वारा अपीलार्थी को निम्नानुसार सूचित किया गया हैः–

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

इस सम्बन्ध में लेख है कि बिन्दु संख्या 1 के सम्बन्ध में आपको सूचित किया जाता है कि राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2 अक्टूबर 2013 को लागू हुआ।

बिन्दु संख्या 2 से 5 के सम्बन्ध मे लेख है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओ का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर देना अपेक्षित नही है। सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर है चाही गई सूचना प्रश्नोतर के रूप में नही होनी चाहिए चूंकि खोजकर खोजे गये तत्थों के आधार पर नई सूचना बनाकर दिया जाना सूचना के अधिकारी के तहत नही आता। सूचनायें एकत्रित कर उपलब्ध करवाना ऐसा कार्य है जो कार्यालय के संसाधनो को अनुपातिक रूप से विचलित करता है। अत– आरटीआई में धारा 7(9) में ऐसी सूचना उपलब्ध कराया जाना वर्जित है।

राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 च में सूचना से तात्पर्य किसी भी स्वरूप में कोई भी सामग्री इसमें किसी भी इलेक्ट्रानिक्स रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन ईमेल, मत, सलाह प्रैस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागजपत्र, नमूने, मॉडल आंकडो संबंधी सामग्री शामिल है। प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र प022 (16)प्रसूं/सूअप्र/2010 जयपुर दिनांक 16.12.2011 में यह स्पष्ट किया गया है कि सूचना में क्यों प्रश्न के उत्तर सम्मिलत नही है। रिट पैटीशन सं0 419/2007 डा0 सेलसा पिण्टो बनाम गोवा राज्य में स्पष्ट किया गया है कि सूचना की परिभाषा अपने दायरे में क्यो वाले प्रश्नों के उत्तर शामिल नही कर सकती। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर देना अपेक्षित नही है। सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर है।

इस सम्बन्ध में आपको कोई उज्र हो तो आप 30 दिवस की अवधि मे प्रथम अपील अधिकारी श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय को अपील कर सकते है।

जिला रसद अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को उक्त दिये गये उत्तर के अनुसार बिन्दु सं0 1 की सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है। बिन्दू सं0 2 से 5 की सूचना विस्तृत होने के कारण कार्यालय कार्य के संसाधनो विचलित करने वाली एवं सूचना एकत्रित कर व सृजित करने वाली होने से धारा 7(9) व 2च के तहत उपलब्ध नही करवाई गई है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। चाही गई सूचना विस्तृत होने व कार्यालय कार्य के संसाधनो का विचलित करने वाली होने से भी धारा 7(9) के तहत सूचना उपलब्ध करवाया जाना वर्जित है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

इस प्रकार जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उत्तर सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है और अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर व अपीलार्थी को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 30.08.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञा.

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर